Government of India Department of Atomic Energy Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

PO: CAT Indore – 452 013

Ref. No. 14/05/2020-GAC /2632

June 7 , 2021.

CIRCULAR

Sub: <u>Preventive measures to contain spread of Novel Coronavirus</u>
(COVID-19) attendance in Central Government Offices – regarding

Reference is invited to RRCAT Circular No. 14/05/2020-GAC/ dated May 29, 2021 on the above subject.

- 2. Now in accordance with the guidelines issued by Additional Chief Secretary, Home Ministry, Madhya Pradesh vide Order No. 35-09/2020/2/C-2 dated 29th May 2021 to respective District Magistrate & Collector and District Magistrate & Collector, Indore order No.2516/R.A.D.M./2021 dated 06.06.2021, RRCAT will continue to function with 100% attendance of Gazetted Officers and 50% attendance of Non-Gazetted employees w.e.f. 01/06/2021.
- 3. The other terms and conditions of the circular dated 29.5.2021 shall remain the same.
- 4. Above directions will come into effect from 07.06.2021 till further orders issued by the DM & Collector, Indore after review of COVID-19 situation.

This issues with the approval of Director, RRCAT.

(S.S. Gondane)

Chief Administrative Officer

Encl: RRCAT Circular dated 29.5.2021 & DM & Collector Order dated 6.6.2021.

All Group Directors, All Associate Directors, All Division Heads/Section Heads/Lab Heads, RRCAT Mail All

Copy to:-

- 1. Office of Director, RRCAT
- 2. Regional Director (P&S), RRCAT
- 3. Dy. Controller of Accounts, RRCAT
- 4. Dy. Commandant, CISF, RRCAT
- 5. Dy. Chief Security Officer, RRCAT

Government of India Department of Atomic Energy Raja Ramanna Centre for Advanced Technology



PO: CAT Indore – 452 013

Ref. No. 14/05/2020-GAC /

May 29, 2021.

CIRCULAR

Sub: Preventive measures to contain spread of Novel Coronavirus (COVID-19) attendance in Central Government Offices – regarding

Reference is invited to RRCAT Circular No. 14/05/2020-GAC/ dated May 16, 2021 on the above subject, regarding closure of Scientific and Technical activities in RRCAT till 29.05.2021 consequent on imposition of "Janta Curfew" as per District Magistrate & Collector, Indore Order dated 30.4.2021 and 16.05.2021.

- 2. Now in accordance with the guidelines issued by Additional Chief Secretary, Home Ministry, Madhya Preadesh vide Order No. 35-09/2020/2/C-2 dated 29th May 2021 to respective District Magistrate & Collector and District Magistrate & Collector, Indore order No.2516/R.A.D.M./2021 dated 31.05.2021, the following directions are issued for implementation in RRCAT with immediate effect:-
 - (i) RRCAT will function with 100% attendance of Gazetted Officers and 50% attendance of Non-Gazetted employees w.e.f. 01/06/2021. Rosters for attendance of Non-Gazetted employees may be prepared by concerned HODIS in consultation with respective Group Director / Functional Heads. All officials who do not attend office on a particular date are to make themselves available on telephone and other electronic means of communication at all time from their residence and work from home (WfH).
 - (ii) However, HODIS with the approval of Group Director may call more than 50% staff for any exigencies of work.
 - (iii) Essential Services staff (Fire, Security, all Drivers, CSD staff working for essential services, Medical staff) and round-the-clock shift operations etc. shall continue to function with full attendance.
 - (iv) Employees attending office shall observe staggered timing in following three shifts:

a. General shift 1 : 08.3

: 08.30-17.00 hrs

b. General shift 2

: 09.00-17.30 hrs

c. General shift 3

: 09.30-18.00 hrs

- (v) The shifts for the employees will be allotted by respective HODIS/Functional Heads in one third manner of their respective employees' strength in each shift so as to avoid crowding and ensure distancing at Colony Main Gate and Guard House.
- (vi) All employees are required to follow COVID-19 related precautions and guidelines issued from time to time by Ministry of Home Affairs and Local Administration viz. wearing of mask, social distancing, use of sanitizer and frequent hand washing with soap and water.
- 3. Above directions will come into effect from 01/06/2021 and will remain in force till 7 days or until further orders issued by the DM&Collector, indore after review of COVID-19 situation whichever is earlier.

This issues will the approval of Director, RRCAT.

Superative Services (S.S. Gondane)

Chief Administrative Officer

All Group Directors, All Associate Directors, All Division Heads/Section Heads/Lab Heads, RRCAT Mail All

Copy to:- 1. Office of Director, RRCAT

2. Regional Director (P&S), RRCAT

3. Dy. Controller of Accounts, RRCAT

4. Dy. Commandant, CISF, RRCAT

5. Dy. Chief Security Officer, RRCAT



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2600 / री.ए.डी.एम / 2021

इन्दार, दिनांक 6-6-2021

// आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय :- दिनांक 7 जून 2021 से इन्दौर जिले में वर्तमान प्रभावशील करोना कफ्र्युं के चलते अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त करने बाबत्।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग का आदेश कमांक एफ / 35-09 / 2020 / दो / सी-2 दिनांक 29 मई 2021, इस कार्यालय का आदेश कमांक / 2516-2517 / री.ए.डी.एम. / 2021 दिनांक 31-5-2021

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित आदेश के तहत्, दिनांक 1 जून 2021 से इन्दौर जिले में कुछ गतिविधियों को करोना कफ्युं के प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। इन मुक्त गतिविधियों को यथावत रखते हुए दिनांक 7 जून 2021 से निम्नानुसार कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना आदेशित किया जाता है। साथ ही कुछ गतिविधियों प्रतिबंधित गतिविधियों की श्रेणी में यथावत रहेगी जिनका उल्लेख भी निम्नानुसार किया गया है। यह आदेश जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति की आज दिनांक 6—6—2021 को साय 5.30 बजे रेसीडेंसी कोठी में हुई बैठक में लिए गए निर्णय एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया जा रहा है, इसका पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस आदेश के तहत इन्दौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों तथा अनुमत्य गतिविधियां संचालित हो सकेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—
अ— प्रतिबंधित गतिविधियां —

 सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आदि गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी।

 स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान । ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।

3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।

4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल बंद रहेगे।

11

220

5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।

6. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

7. 15 जून 2021 तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

8. प्रत्येक शनिवार एवं रविवार जनता कपर्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 10.00 बजें से सोमवार प्रातः 08.00 बजें तक प्रभावी रहेगा। इस अविध में केवल अत्यावश्यक गतिविधियां चल सकेगी। शनिवार को जिला काईसेस मैनेजमेंट उप समिति द्वारा कुछ थोक गतिविधि संबंधित दुकानों को माल डिस्पेच किए जाने की अनुमित दी जा सकेगी।

9. सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11.30 बजें से प्रातः 06.00 बजें तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

10. **रूल ऑफ सिक्स** :— अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

ब— दिनांक 01 जून 2021 के आदेश में प्रतिबंधों से मुक्त अर्थात अनुमत्य गतिविधियों को यथावत रखते हुए निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है:--

1. चोईथराम मंडी में केवल प्याज की बिकी हो सकेगी। केवल इस गतिविधि के लिए मंडी प्रशासन, मंडी में आवाजाही की अनुमित दे सकेगा। अन्य प्रकार की बिकी के लिए अभी यह मंडी बंद रहेगी। मंडी प्रशासन की जिम्मदारी होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो तथा उल्लंघन किए जाने पर पैनाल्टी लगाए जाने के अधिकार मंडी प्रशासन को पूर्व में प्रत्यायोजित किए जा चुके है।


2. छावनी / लक्ष्मीबाई नगर / मालवा मिल अनाज मंडी में कोविड प्रोटोकॉल का

पालन करते हुए संचालित कर सकेंगे।

3. ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को देखते हुए जिले में स्थित समस्त मोटर पंप रिपेयरिंग

दुकान/संस्थान संचालित हो सकेंगे।

4. इन्दौर नगर निगम सीमा के बाहर जिले में स्थित 8 नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के खोलने के संबंध में निर्णय हेतु अधिकार ब्लाक स्तरीय काईसेस मैनेजमेंट समिति के मतानुसार क्षेत्रीय एसडीएम को सौपे जाते हैं। क्षेत्रीय एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य में दुकानें खोल सकेंगे। होने वाली बोवनी को देखते हुए किसानों के घर से खेत तक आने—जाने में कोई व्यवधान न हो यह भी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे।



5. सम्पूर्ण जिले में स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे से साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

6. सम्पूर्ण जिले में दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः से

लेकर रात्री 8.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

7. किराना / ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः 6.00 से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

8. किराना / ग्रोसरी की थोक दुकानें सप्ताह में केवल 5 दिन अर्थात सोमवार से

शुक्वार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

9. चार थोक बाजार क्षेत्र अर्थात महारानी रोड़ एवं सियागंज, मल्हारगंज क्षेत्र, छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना / ग्रोसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें पूर्ण रूप से दो दिन अर्थात शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगी।

10. अण्डा, चिकन, मीट (कच्चे रूप में) की बिकी के संस्थान सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेंगे।

11. विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट के किचन संचालित करते हुए केवल पक्का खाद्य सामग्री की होम डीलेवरी की जा सकेगी। यह गतिविधि सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 10.30 बजे तक संचालित हो सकेगी किन्तु रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा/शटर पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

12. शहरी गरीब श्रेणी के निम्न वर्ग की सेवाएँ संचालित हो सकेगी -

अ- धोबी संबंधी कार्य

ब- मोची संबंधी कार्य

स- दर्जी संबंधी कार्य

द- नाई की दुकान के कर्मचारी बिना दुकान खोले घर जाकर अपनी सेवाऍ दे सकेंगे।

विभिन्न अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा हेतु लाण्ड्री संबंधी गतिविधि भी संचालित हो सकेगी।

13. विभिन्न वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों में स्थित मशीनों की रिपेयरिंग हेतु ऑटो पार्ट्स/मशीनरी की दुकानें सप्ताह में 5 दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

14. प्रचलित निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार संचालित हो सकेंगे तथा रविवार को केवल ऑन साईट लेबर को रखा जाकर कार्य किया जा सकेगा। प्रचलित निर्माण कार्यों में आवश्यकता को देखते हुए प्लायवुड की दुकानें सप्ताह में तीन दिन अर्थात सोमवार, बुधवार, शुकवार प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

15. विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता को देखते हुए चार्टड अकाउंटेंट, कंपनी सेकेंट्री, टैक्स



कंसलटेंट, औद्योगिक इकाईयों, निर्माण गतिविधि संबंधी, दांसपोर्ट एवं गोडाउन सर्वीसेस के निजी कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। शेष निजा कार्यालय अभी नहीं खुल सकेंगे।

16. फोटोग्राफर तथा फोटो फेम बनाने संबंधी संस्थान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

17. जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा गिठत उप समिति समय-समय पर थोक बाजार के संबंधित एसोसिएशन जैसे— क्लाथ मार्केट, बर्तन बाजार, (अटैची, बैग्स,सूटकेस, थैले) गारमेंट्स, डिस्पोजेबल आयटम, सायकल, चूड़ी, स्टील / शीट्स आदि से समक्ष में चर्चा कर सीमित समय / दिन के लिए माल डिस्पेच करने की अनुमित दे सकेगी।

कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं अनुशासन के पालन हेतु सभी नगरीय निकायों, सीईओ जनपद, सीईओ कंटेनमेंट एरीया, मंडी विभाग एवं समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं संस्थान प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि मास्क नीचे पहने हुए पाए जाने पर अथवा मास्क नहीं पहनने पर रूपये 200/— का अर्थदण्ड सख्ती से आरोपित कर राशि वसूली की जावे। सभी दुकानों एवं संस्थानों के बाहर संबंधित संस्थान द्वारा अनिवार्यतः गोले बनाए जावे। स्थानीय निकाय उक्त समस्त व्यवस्था को सुनिश्चित करवाएगी।

शहर में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति समय–समय पर इस आदेश का पुनर्विलोकन करने हेतु आवश्यक बैठक आयोजित की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 7–6–2021 से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश **दिनांक** 6/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 6-6-2021

पृ॰क्र॰ / २६०१ / री०ए०डी०एम० / २०२१ प्रतिलिपि :--

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर

4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर

5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर

6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन -1-2-3, इन्दौर
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
 समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
 एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), इन्दौर
 उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
 थाना प्रभारी, थाना जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
 उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
 प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
 प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर.